न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, धौलपुर

क्रमांक : 127-131 दिनांकः 04.05.2020

-: आम सूचना :-

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस **(Novel Corona Virus) (COVID-19)** को महामारी घोषित करने के पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 17/ पी.आई./2020 दिनांकित 02.05.2020 एवं परिपत्र क्रमांक 14/पी.आई./2020 दिनांकित 14.04.2020 की पालना मे दिनाक 17.05.2020 तक लंबित सभी प्रकरणो में नियत तिथि के स्थान पर आगामी तिथि निम्न प्रकार नियत की जाती है।

नियत तिथि	आगामी तिथि
04.05.2020	05.06.2020
05.05.2020	06.06.2020
06.05.2020	08.06.2020
07.05.2020	09.06.2020
8.05.2020 व 09.05.2020	10.06.2020
11.05.2020	11.06.2020
12.05.2020	12.06.2020
13.05.2020	15.06.2020
14.05.2020	16.06.2020
15.05.2020	17.06.2020
16.05.2020	18.06.2020

परिवर्तित तिथिया शीघ्र ही CIS पर अपडेट कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्क प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुये नवीन प्रार्थना पत्र/ आवश्यक प्रकृति के प्रकरण उक्त अवधि में आवश्क कार्य सम्पादन हेतु नियुक्त किये गये जिला न्यायाधीश स्तर के पीठासीन अधिकारी महोदय के न्यायालय की ई मेल आई डी पर इस शर्त के साथ पेश कर सकता है कि न्यायालय का नियमित कार्य सुचारू होने के पश्चात ई-मेल पर पेश किये गये प्रकरणों/प्रार्थना पत्रों की हार्ड कॉपी पेश कर दी जावेगी।

स्वस्थ रहे और देश की प्रगति में बाधा बन रहे कोरोना वायरस को दूर कर जड से उन्मूलित करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें

sd 4/5/2020

न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय,
धौलपुर

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर को सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, धौलपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अभिभाषकगण को सूचित करावे तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करे कि वे अपने पक्षकारान को प्रकरणों की तारीखों की सूचना मोबाईल आदि से दे ताकि वे न्यायालय में आने से बचे और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहे।
3. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि आम सूचना न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करे।
4. सूचना की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकायी जावे।
5. कार्यालय प्रति।

4/5/20

न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय,
धौलपुर